

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 743 /FP/UK/ROAD/144679/2021 देहरादून:दिनांक 16 सितम्बर, 2021

सेवा में,

श्री प्रवीण कुमार,
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

विषय— जनपद—पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मूनाकोट में माड मर्सोली मोटर मार्ग संगट्टा तक विस्तार कार्य के निर्माण हेतु 0.95 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उक्त विषयक प्रश्नगत प्रस्ताव दिनांक 12-07-2021 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ था, जिसके परीक्षणोपरान्त दिनांक 14-07-2021 के द्वारा प्रस्ताव की हार्ड प्रतियां जमा करने हेतु प्रेषित किया गया। आप द्वारा प्रस्तुत हार्ड प्रति के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्ताव में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है।

1. प्रस्ताव में संलग्न विषयसूची में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
2. प्रस्ताव में संलग्न परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई के प्रमाण-पत्र में सम्बन्धित जिलाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
3. प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
4. प्रस्ताव में वर्तमान निर्धारित दरों के अनुसार आस-पास रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना संलग्न करें।
5. प्रस्ताव में संलग्न वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने के प्रमाण-पत्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
6. बांज वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन संरक्षक के संस्तुति अपेक्षित है।
7. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित होने वाले वृक्षों के विवरण में नाप भूमि में 0-10 व्यास वर्ग के 10 बांज वृक्ष एवं 10-20 के 54 बांज वृक्ष अंकित किये गये हैं। कृपया उक्त क्षेत्र का स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग से ग्राम में जिन व्यक्तियों के खेतों में उक्त वृक्ष हैं, का खसरा नम्बर, मानचित्र तथा उक्त व्यक्तियों का बांज वृक्षों को काटने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करते हुये कमियों का पूर्ण निराकरण करवाकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डा० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या:- /FP/UK/ROAD/144679/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- श्री विनय भार्गव, प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(डा० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।